न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर

धूड़ाराम पुत्र रतनाराम, जाति जाट निवासी पल्ली तहसील ओसिया जिला जोधपुर।

......**अपीलान्ट**

बनाम

1- सोनाराम पुत्र केसूराम
2- हरकाराम पुत्र खोताराम
3- मंगलाराम पुत्र फुसाराम
4- दुर्गाराम पुत्र फुसाराम
5- अचलाराम पुत्र फुसाराम
6- चेनाराम पुत्र फुसाराम
7- जमनी पत्नि फुसाराम
8- डुंगरराम पुत्र सांवतराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
  8/1- पूनाराम पुत्र डूंगरराम
  8/2- फगलुराम पुत्र डूंगरराम
  8/3- कानाराम पुत्र डूंगरराम
  8/4- दीपी पत्नि डूंगरराम
9- सूराराम पुत्र सांवतराम
10- पुरखाराम पुत्र सांवतराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
  10/1- भेराराम पुत्र पुरखाराम
  10/2- रेवन्तराम पुत्र पुरखाराम
  10/3- बंशीलाल पुत्र पुरखाराम
11- गुमनाराम पुत्र मालाराम
12- देवाराम पुत्र मालाराम
13- टीकूराम पुत्र जियाराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
  13/1- ओमप्रकाश गोदपुत्र टीकूराम
  13/2- रम्भा पत्नि टीकूराम
14- आसुराम पुत्र नेनाराम
15- जगमालराम पुत्र भीकाराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
  15/1- चैनी पत्नि जगमालराम
  15/2- भोमाराम पुत्र जगमालराम (नाबा.) जरिये कुदरतीवली माता चैनी पत्नि जगमालराम
16- मोहनराम पुत्र भीकाराम
17- प्रतापराम पुत्र भीकाराम
18- गोर्वधन उर्फ संजय पुत्र भीकाराम
19- पोकरराम पुत्र किशनाराम
20- सोनाराम पुत्र फुसाराम
21- दुर्गाराम पुत्र फुसाराम
22- भोमाराम पुत्र भीकाराम

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर
घूड़ाराम बनाम सोनाराम व अन्य

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर
सोनाराम आदि बनाम घूड़ाराम आदि

23- भंवरलाल पुत्र भीकाराम
24- भलूराम पुत्र भीकाराम
25- दीपाराम पुत्र भीकाराम
26- भगुराम पुत्र फुसाराम
27- टीकूराम पुत्र कुकनाराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
27/1- नोजी पत्नि टीकूराम
27/2- राजा पुत्री टीकूराम
28- बुद्धाराम पुत्र मुकनाराम
29- मांगीलाल पुत्र मुकनाराम
30- आईदान पुत्र मुकनाराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
30/1- मंगलाराम पुत्र आईदानराम
30/2- जेठाराम पुत्र आईदानराम
30/3- गंगा पत्नि आईदानराम
31- सूरजनराम पुत्र हीराराम (मृतक) जरिये वारिसान :-
31/1- दुर्गाराम पुत्र सूरजनराम
31/1/1- मोहनराम पुत्र दुर्गाराम
31/1/2- अशोक पुत्र दुर्गाराम
31/1/3- जेठी पत्नि दुर्गाराम
32- केसूराम के कायम मुकाम पूर्व में रेकार्ड पर नाम तर्क किया गया
33- खोताराम के कायम मुकाम पूर्व में रेकार्ड पर नाम तर्क किया गया
34- हीराराम पुत्र केसूराम
35- मंगलाराम पुत्र केसूराम
36- कुनणाराम के कायम मुकाम
36/1- पारू पत्नि कुनणाराम
36/2- किसना पुत्र कुनणाराम
36/3- पपू पुत्र कुनणाराम
37- डूंगरराम पुत्र खेताराम
38- अचलाराम पुत्र खेताराम
39- पुखाराम पुत्र खेताराम
40- लूम्बाराम पुत्र मंगलाराम (लाऔलाद फौत)
41- नरूराम पुत्र मंगलाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
41/1- भगवाना पुत्र नरूराम
41/2- रेवतराम पुत्र नरूराम
41/3- मूलाराम पुत्र नरूराम
41/4- नोजी पत्नि नरूराम
42- मूलाराम पुत्र चन्दाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
42/1- किशनाराम पुत्र मूलाराम
42/2- हुक्माराम पुत्र मूलाराम
42/3- गोपालराम पुत्र मूलाराम

<u>(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर</u>
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

<u>(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर</u>
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि

43- चूनाराम पुत्र चन्दाराम
44- पपूराम पुत्र चन्दाराम
45- बाबूराम पुत्र चन्दाराम
46- नेनाराम पुत्र भूराराम (फौत) के कायम मुकाम :-
46/1- आसूराम पुत्र नेनाराम
46/2- हीराराम पुत्र नेनाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
46/2/1- कानाराम पुत्र हीराराम
46/2/2- कुम्भराम पुत्र हीराराम
46/2/3- गोकुलराम पुत्र हीराराम
46/3- किसनाराम पुत्र नेनाराम
46/4- बनाराम पुत्र नेनाराम
46/5- गंगाराम कपुत्र नेनाराम
46/6- खीयाराम पुत्र नेनाराम
46/7- बाबूराम पुत्र नेनाराम
46/8- आदूराम पुत्र नेनाराम
47- राजूराम पुत्र फूसाराम
48- तुलछाराम पुत्र फूसाराम
49- जेठाराम पुत्र फूसाराम
50- कानाराम पुत्र फूसाराम
51- शिवलाल पुत्र फूसाराम
52- पेमाराम पुत्र फूसाराम
53- जेताराम पुत्र रूगाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
53/1- बुधराम पुत्र जेताराम
54- खेताराम पुत्र रूगाराम (फौत) के कायम मुकाम :-
54/1- विरेन्द्र पुत्र खेताराम
54/2- जुगल पुत्र खेताराम
54/3- मांगी पुत्री खेताराम
55- पूनाराम पुत्र रूगाराम
समस्त जाति जाट निवासी पल्ली तहसील आसियां जिला जोधपुर।
56- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसियां जिला जोधपुर।
57- श्रीमती केसरीदेवी पत्नि धूडाराम, जाति जाट, निवासी पल्ली तहसील आसियां जिला जोधपुर।

......रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>उपस्थितः</u>
श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री विरेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

<u>(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर</u>
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

<u>(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर</u>
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि

<u>(2) अपील / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर</u>

1- सोनाराम पुत्र केसूराम
2- हीराराम पुत्र केसूराम
3- मंगलाराम पुत्र केसूराम
4- डूंगरराम पुत्र खेताराम
5- हरखाराम पुत्र खेताराम
6- अचलाराम पुत्र खेताराम
7- पुखाराम पुत्र खेताराम
8- श्रीमती पेम्पी पत्नि खेताराम
9- विशनाराम पुत्र कुनानाराम जाट (नाबा.) जरिये कुदरतीवली माता श्रीमती पारू पत्नि कुनानाराम
10- पपूराम पुत्र कुनानाराम जाट (नाबा.) जरिये कुदरतीवली माता श्रीमती पारू पत्नि कुनानाराम
11- श्रीमती पारू पत्नि कुनानाराम
सभी जाति जाट निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

......अपीलान्ट्स

बनाम

1- धूडाराम पुत्र रतनाराम, जाति जाट, निवासी पल्ली तहसील ओसियां जिला जोधपुर।
2- राजस्थान सरकार

........रेस्पोन्डेन्ट्स

<u>खण्ड-पीठ</u>
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

<u>उपस्थितः</u>
श्री विरेन्द्र सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

<u>दिनांक : 23 अगस्त, 2018</u>

<u>निर्णय</u>

1- अपील संख्या-4247/2003/टी.ए./जोधपुर अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि

18-8-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या-9/2002 शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि को खारिज किया है।

2- अपील संख्या-6597/2009/टी.ए./जोधपुर अन्तर्गत धारा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-7-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अपील अधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या-71/2004 शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-5-2004 निरस्त कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है।

3- उपरोक्त दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादग्रस्त भूमि एवं विवाद बिन्दू एक समान होने के कारण दोनों अपीलों को एकल निर्णय से निर्णित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों अपीलों के साथ संलग्न की जावे।

4- अपील संख्या-4247/2003/टी.ए./जोधपुर के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / वर्तमान अपीलान्ट ने एक दावा संख्या-13/1992 (पुराना नम्बर-17/1989) अन्तर्गत धारा-88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि विद्वान सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित कुल खसरा नम्बर-12 की भूमि वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज एक ही थे। परन्तु 5-7 पीढी होने के कारण अलग अलग भूमि का बंटवारा कर लिया है। मौके पर अलग अलग ही काश्त कर रहे हैं। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में प्रत्येक सहकाश्तकार का अलग अलग हिस्सा दर्ज है। उसी के अनुसार मौके पर बंटवारा कर लिया है। कुछ खसरा नम्बर की भूमि में हिस्से दर्ज नहीं है। उसका भी बंटवारा कर लिया गया है एवं बंटवारा अनुसार काश्त कर रहे हैं। दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या-1-2-27-28 के अलावा शेष प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या-1-2-27-28 में जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर-439 रकबा 281.05 बीघा भूमि में वादी / वर्तमान अपीलान्ट का 70.05 बीघा भूमि में से केवल 23.09 बीघा भूमि है। शेष 46.18 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या-27 व 28 की है। इस खसरा के संबंध में प्रतिवादी संख्या-27 व 28 ने अधिकारों की घोषणा का एक दावा भी प्रस्तुत कर रखा है। प्रतिवाद पत्र में यह भी अंकन किया कि

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि

दावा में वर्णित कुल 12 खसरा में प्रतिवादी संख्या–1–2–27–28 के हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन किया जावे। वादी / वर्तमान अपीलान्ट ने प्रतिवाद पत्र का जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा 6 तनकी बनाई गई। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या–1–2–27–28 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश–14 नियम–5 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अतिरिक्त तनकी बनाये जाने का निवेदन किया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र आदेश–14 नियम–5 सी.पी.सी. स्वीकार कर दो अतिरिक्त तनकी कायम की। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर बनायी गयी तनकीयात पर साक्ष्य लेकर विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–2000 के द्वारा वादी / वर्तमान अपीलान्ट का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या–1–2–27–28 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर–439 की भूमि में प्रतिवादी संख्या–27–28 को 1/12 – 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। दावा में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार ओसियां को कमिशनर नियुक्त किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये। विद्वान सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–2000 के विरूद्ध वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–9/2002 शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–2000 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18–8–2003 से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या–4247/2003 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5– अपील संख्या–6597/2009/टी.ए./जोधपुर के संक्षिप्त तथ्यानुसार विद्वान सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) जोधपुर द्वारा दावा संख्या–13/1992 (पुराना नम्बर–17/1989) अन्तर्गत धारा–88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि में दिनांक 24–5–2000 को प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। तत्श्चात विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–5–2004 के द्वारा अन्तिम डिक्री पारित कर दी। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, ओसियां के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–5–2004 के विरूद्ध वादी / वर्तमान रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने प्रथम अपील संख्या–71/2004 शीर्षक धूडाराम बनाम सोनाराम आदि, न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30–7–2009 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–5–2004 को निरस्त कर प्रकरण कुछ निर्देशों के

साथ अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30-7-2009 के विरूद्ध प्रतिवादीगण / वर्तमान अपीलान्टस ने अपील संख्या-6597/2009 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

6- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

7- अपील संख्या-4247/03 के विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट तथा अपील संख्या-6597/09 के विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने संयुक्त रूप से तर्क दिया कि दावा के पैरा संख्या-1 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर-439 की 28.05 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या-27 व 28 का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में उनका कोई हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या-27 व 28 द्वारा प्रस्तुत दावा को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने धारा-10 सी.पी.सी. के तहत Stay कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या-27 व 28 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रतिवाद पत्र में चाहे गये संशोधन को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 28-8-1991 को खारिज कर दिया है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 28-8-1991 को माननीय राजस्व मण्डल ने यथावत रखा। अभिवचन के अभाव में न्यायालय स्वविवेक से किसी व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं कर सकता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24-5-2000 तथा विद्वान अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18-8-2003 विधि के प्रावधान के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके साथ साथ विद्वान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 11-5-2004 नियम-18 ता 21 की पालना किये बिना पारित की गयी है। विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये हैं तथा अन्तिम डिक्री में केवल प्रतिवादी संख्या-27 व 28 के हद तक ही बंटवारा किया गया है। अन्तिम डिक्री उभय पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर किया जाकर ही पारित की जा सकती है। इसी आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील संख्या-7/04 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30-7-2009 के द्वारा अपील को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इसलिये अपील संख्या-6597/09 निरस्त की जावे।

8- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर-439 के

संबंध में प्रतिवादी संख्या–27 व 28 के द्वारा एक अधिकारों की घोषणा का दावा किया गया था तथा भूमि के विभाजन का अनुतोष जवाबदावा में प्रस्तुत प्रतिवादी पत्र के माध्यम से चाहा गया था। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अधिकारों की घोषणा के दावे की कार्यवाही स्थगित कर दी तथा प्रतिवाद पत्र चाहे गये अनुतोष को खारिज कर दिया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रतिवादी को न्याय प्राप्ति के समस्त दरवाजे बन्द हो गये। प्रतिवादी दावा के माध्यम से अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकता है। जब अधिकारों की घोषणा के दावे की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी तो प्रतिवाद पत्र में संशोधन की स्वीकृती दी जानी चाहिये थी जिसे भी अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी। प्रतिवादी का अधिकारों की घोषणा का दावा अनिर्णित रह गया है। जबकि प्रतिवादी के अधिकारों की घोषणा का दावा का निर्णय वादी / अपीलान्ट के दावे के निर्णय के साथ किया जाना चाहिये था। वादी / अपीलान्ट स्वयं दावा के पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि को पैतृक भूमि स्वीकार करता है। स्वीकृती को साबित करवाने की आवश्यकता नही है। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने D.N.J. 2011(2) (S.C.) Page-456 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया। जहां तक अन्तिम डिक्री का प्रश्न है, अन्तिम डिक्री पारित करने में विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने सरसरी तौर पर ही अपील संख्या–7/2004 की स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की अन्तिम डिक्री को निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये अपील संख्या–4247/03 खारिज की जावे तथा अपील संख्या–6597/09 स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 30–7–2009 निरस्त किया जावे।

9– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय एवं राजस्व अपील अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

10– इस बिन्दू पर कोई विवाद नहीं है कि वादी / अपीलान्ट ने दावा के पैरा संख्या–1 में वर्णित कुल खसरा नम्बर–12 की भूमि के विभाजन का दावा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि दावा में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है तथा वादी तथा प्रतिवादी सहकाश्तकार है। कुछ खसरों में कुछ सहकाश्तकार के नाम अंकित नहीं है, परन्तु पारिवारिक स्तर पर भूमि का विभाजन करवाया हुआ है। इसलिये भूमि का विभाजन किया जावे। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि खसरा नम्बर–439 रकबा 281.05 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या–27 व 28 का नाम Record of Right में अंकित नहीं है। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या–27 व 28 में खसरा

नम्बर–439 में अपने अधिकारों की घोषणा के संबंध में एक दावा विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बिन्दू पर भी कोई विवाद नहीं है कि वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाबदावा प्रतिवादी संख्या–27 व 28 द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा जवाब के साथ प्रतिवाद पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि खसरा नम्बर–439 में उनका 1/3 – 1/3 हिस्सा है। इसलिये भूमि का विभाजन किया जावे। अधिकारों की घोषणा के संबंध में प्रतिवाद पत्र में इसलिये अंकन नहीं किया गया था कि उनके द्वारा अधिकारों की घोषणा का दावा पृथक रूप से किया जा चुका था। जब अधिकारों की घोषणा की दावे की कार्यवाही को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया तो उनके द्वारा आदेश–6 नियम–17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रतिवाद पत्र में संशोधन करने का अनुतोष चाहा गया, जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रतिवादी संख्या–27 व 28 को दावा एवं प्रतिवाद पत्र के माध्यम से कोई न्याय प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी पक्षकार के न्याय के दरवाजे बन्द नही किये जा सकते हैं। जब अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या–27 व 28 का अधिकारों की घोषणा का दावा जैरकार था तो उस दावे के वादी / अपीलान्ट के दावे के साथ संलग्न कर दोनों दावों को एक साथ निर्णित किया जाना चाहिये था। दावा संख्या–13/1992 (पुराना नम्बर–17/1989)के वादी / वर्तमान अपीलान्ट अपने दावा के पैरा संख्या–1 में स्वीकृत करता है कि पैरा संख्या–1 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है तथा कुछ खसरों में कुछ सहकाश्तकार का नाम अंकित नहीं है। भूमि का विभाजन पारिवारिक स्तर पर पूर्व में किया जा चुका है। इसलिये भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। जब वादी / अपीलान्ट स्वयं स्वीकार करता है कि दावा के पैरा संख्या–1 में भूमि पैतृक भूमि है तथा सहकाश्तकारान की संयुक्त खाता की भूमि है। वादी / अपीलान्ट की स्वीकृती के आधार पर ही प्रतिवादी संख्या–27 व 28 स्वतः ही विवादग्रस्त भूमि का खातेदार हो जाता है तथा अपनी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। स्वीकृत तथ्यों को साबित करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बिन्दूपर विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत **D.N.J. 2011(2) (S.C.) Page-456** महत्वपूर्ण है :–

> (B) Evidence Act, 1872 - Sec. 17 Admission - Admission made in a Court of low is a valid and a relevant piece of evidence to be used in other legal proceedings.

11– दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–2000 तथा 18–8–2003 वादी / अपीलान्ट के

(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि

विरूद्ध पारित की है। धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। फलस्वरूप अपील संख्या–4247/03/टी.ए./जोधपुर खारिज की जाती है।

12– जहां तक अपील संख्या–6597/09/टी.ए./जोधपुर का प्रश्न है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने दावा संख्या–13/1992 (पुरान नम्बर–17/1989) में अंतिम डिक्री दिनांक 11–5–2004 को पारित की। अन्तिम डिक्री में केवल प्रातिवादी संख्या–27 व 28 की हद तक ही भूमि का विभाजन किया। विभाजन प्रस्ताव भी सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा नहीं भिजवाया जाकर पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भिजवाये गये थे। विद्वान उप खण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–5–2004 के विरूद्ध वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–71/2004 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–7–2009 के द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–5–2004 को निरस्त कर प्रकरण विद्वान उप खण्ड अधिकारी को कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30–7–2009 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–5–2004 विधि के प्रावधान के विपरीत होने के कारण निरस्त की गयी है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30–7–2009 में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने के कारण अपील संख्या–6597/09/टी.ए./जोधपुर शीर्षक सोनाराम बनाम धूडाराम खारिज की जाती है।

13– उभयपक्ष को आदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति लेकर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, ओसिया के समक्ष दिनांक 28–9–2018 को उपस्थित होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

<u>(1) अपील डिक्री / टी.ए. / 4247 / 03 / जोधपुर</u>
घूडाराम बनाम सोनाराम व अन्य

<u>(2) अपील डिक्री / टी.ए. / 6597 / 09 / जोधपुर</u>
सोनाराम आदि बनाम घूडाराम आदि